

पत्रांक :-3/सम्पुष्टि-6-6/2012 ज.स..... रांची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,

आदेश

1. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 2886 दिनांक 19.10.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रुप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

साथ ही कार्यालय आदेश संख्या 5564 दिनांक 27.08.90 के आलोक में श्री कौशल किशोर राय को 2.02.89 के प्रभाव से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि की जाती है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि/ कार्यालय का पता	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरुप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शिवनारायण प्रसाद /जे0 5179/10.08.58 /लधु वितरणी प्रमण्डल संख्या-5, डिमना, जमशेदपुर	03.02.79	03.02.09	
2	श्री कौशल किशोर राय /जे0 5752/01.06.51 /जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग	02.02.79	02.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
3. सम्पुष्टि प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

- 20/

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

Signature

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

- ह./-

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चाण्डिल कम्प्लेक्स, जमशेदपुर एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर एवं अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, लधु वितरणी संख्या-5, डिमना, जमशेदपुर एवं कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग को श्री शिवनारायण प्रसाद एवं श्री कौशल कुमार, कनीय अभियंता के मूल सेवापुस्त के साथ/ श्री शिवनारायण प्रसाद एवं श्री कौशल कुमार, कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

- ह./-

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

5707

राँची, दिनांक.....

28-9-13

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (प्रबंधन)/प्रशाखा-2/बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/ सम्पुष्टि-06-01/2013 / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-262 दिनांक 27.01.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वितीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीरा वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वितीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री योगेन्द्र प्रसाद/ जे 5325/ 27.06.53/ लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला/ अंतिम पदस्थापन कार्यालय समग्र योजना अन्वे. एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची	07.02.79	07.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वितीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./
(मंजो कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक: राँची, दिनांक :
प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./
(मंजो कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक: राँची, दिनांक :
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला/ अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वे. एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./
(मंजो कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक: 5713 राँची, दिनांक : 28-9-13
प्रतिलिपि: बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मंजो कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-02 / 2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत श्री शशि भूषण प्रसाद, कनीय अभियंता को निम्न रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम / आई.डी. कोड / जन्म तिथि / वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	ए.सी.पी. लाभ की तिथि		अभ्युक्ति
			प्रथम वेतनमान 6500-10500	द्वितीय वेतनमान 10000-15200	
1	2	3	4	5	6
1	श्री शशि भूषण प्रसाद / जे 5967 / 28.03.53 / जलपथ प्रमंडल, बरही	05.02.79	09.08.99	05.02.03	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त ए.सी.पी. के तहत सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / कार्यपालक अभियन्ता, जलपथ प्रमंडल, बरही, हजारीबाग / अधीक्षण अभियन्ता, जलपथ अंचल, हजारीबाग / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5714 राँची, दिनांक :- 28-9-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / प्रशाखा-01, 02, 03, 08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)